

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 12/09/2023

क्र. IPI/5/0013/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू पेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा पीथमपुर सेक्टर-7 जिला धार में रुपये 740.70 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से पैंट्स, इमलशन, कोटिंग्स आदि निर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2204270001) पर निम्नानुसार सुविधाये दी जाये -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 25 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।
2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रुपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।
3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।
4. **औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन-** परियोजना हेतु औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर-7 जिला धार में भूमि आवंटित की जाये। परियोजना हेतु प्रब्याजी, विकास शुल्क आदि प्रचलित भू-आवंटन नियम अनुसार प्राप्त की जाये।
5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
6. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।
7. परियोजना को उद्योग सवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।
8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
 4. कलेक्टर, जिला- धार।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, प्रबंध निदेशक, मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू पेन्ट्स प्रा. लि., JSW Center, Bandra Kurla, Complex, Mumbai - 400051।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग